



पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 09 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23-07-2021

दिनांक 22/23-07-2021 को रात्रि थाना गोमतीनगर 03, गोसाईगंज 03, जानकीपुरम् 01, मोहनलालगंज 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 दक्षिणी।

अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज—दिनांक 23-07-2021 को एस0आई0 श्री मुन्नालाल थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01—परशुराम उर्फ परशू पुत्र पूरन पासी निवासी ग्राम बीबीपुर थाना गोसाईगंज को ग्राम बीबीपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

मोहनलालगंज—दिनांक 23-07-2021 एस0आई0 श्री राजकुमार थाना मोहनलालगंज द्वारा अभियुक्त 01—प्रेमकुमार पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम धनुआसाड़ थाना मोहनलालगंज लखनऊ को ग्राम धनुआ साड़ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर, थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना पारा—दिनांक-23-07-2021 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री कमलेश भगत गुरु नारायण पुत्र गुरुनारायण स्वरूप दास निवासी स्वामी नारायण मन्दिर एमजी मार्ग, के0पी0 कालेज के सामने जनपद प्रयागराज ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 22-07-2021 को वादी समय करीब 11.45 बजे अपने साथी राम नारायण के साथ अपनी चार पहिया वाहन नं0 जीजे 01 एचएक्स 4181 से प्रयागराज से जयपुर के लिये जा रहा था। मोहान रोड आगरा एक्सप्रेस वे0 के पास पिन्टू चाय वाले की दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी दो व्यक्ति वादी के पास आये और बताये कि उसके गाड़ी से ऑयल गिर रहा है। इस बात पर वादी और उसका साथी वाहन का बोनट उटाकर देख रहे थे कि तभी वह दोनों अज्ञात व्यक्ति जिसमें से एक ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और दूसने ने काले रंग की टीशर्ट पहनी थी, ने वादी की गाड़ी में रखा बैग(हल्के काला रंग)चोरी करके फरार हो गये। बैग में करीब 60,000/-रूपये नगदी और 01 कीपैड मोबाइल ,02 एटीएम कार्ड हेल्थ इन्श्योरेंस कार्ड रखा था।इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 0321/2021 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना पारा द्वारा की जा रही है।

थाना गोमतीनगर—दिनांक 23-07-2021 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि श्री दीपेश पुत्र श्री विपिन कुमार यादव पुत्र स्व0 हीरालाल उम्र करीब 58 वर्ष निवासी—एलआईजी1-839 विनयखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि उसके पिता श्री विपिन कुमार, जो जे0एम0के हाउसिंग एण्ड सिक्योरिटी कम्पनी में सिक्योरिटी गार्ड थे, व 02/248 विशालखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में जैनेन्द्र सिंह के मकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जो सदिग्ध हालत में जैनेन्द्र सिंह के मकान के बाहर मृत अवस्था में पाये गये। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री हुसैन अब्बास मो0नं0 9415848405 थाना गोमतीनगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि जैनेन्द्र सिंह के मकान में कोई रहता नहीं है। विपिन कुमार ही घर पर ड्यूटी करते थे। मृतक के परिजनों के कहना है कि मृतक हार्ट पेशेन्ट थे। संभवतः हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है।